.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
29.08.2023	अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्टोरशन प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने धारा 5 मियाद के बिन्दू पर बहस के दौरान कथन किया कि अपील बाबत कई बार पूछ–ताछ करने भी जानकारी नही मिली, तथा बाद में कॉरोना काल का पीरीयड होने के कारण अपीलान्ट बीकानेर आकर अपील बाबत पूछ–ताछ नही कर सका तथा ना ही जानकारी हासिल कर सका। अपीलान्ट को दिनांक 16.08.2023 को प्रथम जानकारी मिली की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपील को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को हस्तान्तरित कर दी गई। दिनांक 18.08.2023 को सर्वप्रथम जानकारी हुई की उक्त अपील अद्म हाजरी में खारिज कर दी गई है। अतः डिले कन्डोन की जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जावे। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि दिनांक 22.02.2017 को अपील अदम हाजरी एवं अदम तकमील में खारिज की जा चुकी है जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में होगी, इस न्यायालय मे रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र Lie (दायरा क्षेत्र) नही करता है, तथा अभिभाषक प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है, मियाद बाबत कोई ठोस कारण नही बताया गया है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया व मूल पत्रावली सं. 39/2017 का गहनता से अध्यन किया। पत्रावली दिनांक 29.06.2004 से दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 की तलबी हेतु विचाराधीन रही, अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं. 2 के निमित सम्मन बार–बार पेश करने हेतु पाबन्द करने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही करने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2017 को अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अनुपस्थित रहने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के निमित सम्मन पेश नही करने पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम तकमील में खारिज की गई जिसके विरूद्व यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 6 वर्ष 6 माह के बाद प्रस्तुत किया है तथा विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अवधि को कण्डोन करने का कोई संतोषजनक, ठोस एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किया है, अभिभाषक प्रार्थी यह कह कर अपने दायित्व से मुक्त नही हो सकता कि उसको पूर्व न्यायालय के द्वारा अपील हस्तान्तरण की सूचना उसको नही दी गई। धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मे दिये गये कथनो से हम सहमत नही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जाकर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ सलग्न होकर दाखिल दफ्तर रहे। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	